न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 32 / 2024(जी.सी.एम.एस. 2024 / 54)

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1 सुखजीत कौर उर्फ मूर्तिबाई पत्नी प्रेम सिंह पुत्री दलीप सिंह जाति बावरी निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर।		1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर। 2. चरणकौर पत्नी दलीप सिंह जाति बावरी निवासी 62 एफ तहसील श्रीकरणपुर।

तारीख रजू– 06.03.2024

उपस्थितः 1.श्री सुधीर कुमार शर्मा अधिवक्ता वादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 91 आरटीए

—निर्णय— दिनांक : 04.11.2024

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 62 एफ, पटवार हल्का मुकन(बी), भू.अ.नि.क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 36/102, 34/27, 35/44 में वादिया के पिता दलीप सिंह पुत्र वरयाम सिंह के नाम 1.202 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादिया के पिता दलीप सिंह पुत्र वरयाम सिंह की मृत्यू दिनांक 25.12.2023 को हो चुकी है। दलीप सिंह पुत्र वरयाम सिंह की मृत्यू होने के पश्चात वादिया एंव प्रतिवादी सख्या 2 मृतक दलीप सिंह पुत्र वरयाम सिंह के प्रथम श्रेणी के वारिसान होने के कारण उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम दर्ज करवाने की अधिकारी है। वादिया मृतक दलीप सिंह व चरण कौर की प्राकृतिक पुत्री नहीं है। वादिया के प्राकृतिक माता-पिता भरत सिंह है। वादिया जब तीन माह की थी। तब वादिया के प्राकृतिक माता-पिता ने रिश्तेदारों की मौजूदगी में व समाज के रीति रिवाजों के अनुसार सबके समक्ष मृतक दलीप सिंह व चरण कौर की गोद में डाल दिया था। तब से लेकर आज तक वादिया मृतक दलीप सिंह व चरण कौर की पुत्री कहलाती है। वादिया के समस्त रिकॉर्ड स्कूल, टीसी, जॉब कार्ड, राशन कार्ड आदि सरकारी दस्तावेजात में वादिया के पिता का नाम दलीप सिंह अंकित है। शादी से पूर्व वादिया के पीहर पक्ष में नाम मूर्तिबाई था, लेकिन शादी के पश्चात वादिया के ससुराल पक्ष वालों ने वादिया का नाम मूर्ति बाई से बदलकर सुखजीत कौर रख दिया। वादिया को मुर्ति व सुखजीत कौर के नाम से जाना जाता है। दोनों नाम वादिया के है। मृतक दलीप सिंह की मृत्यू के पश्चात ग्राम पंचायत 61 एफ से सदस्य प्रमाण पत्र जारी करवाकर मृतक दलीप सिंह की उक्त आराजी वादिया ने अपने व प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज करने के लिए कहा तो पटवारी हल्का ने कहा कि तुम मृतक दलीप सिंह की दत्तक पुत्री हो, इसलिए अदालत से आदेश लाने पर ही आपके नाम विरास्तन इन्तकाल दर्ज किया जायेगा। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 62 एफ, पटवार हल्का मुकन(बी), भू.अ.नि.क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 36/102, 34/27, 35/44 में वादिया के पिता दलीप सिंह पुत्र वरयाम सिंह के नाम 1.202 हैक्टेयर भूमि का वादिया व प्रतिवादी संख्या 2 को बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किए जाने के आदेश दिए जावे।

2. वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। वादगत भूमि के सम्बन्ध में तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 3017 दिनांक 24.09.2024 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार राजस्व ग्राम 62 एफ, पटवार हल्का मुकन(बी), भू.अ.नि.क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

36/102, 34/27, 35/44 में दलीप सिंह पुत्र वरयाम सिंह के नाम 1.202 हैक्टेयर भूमि दर्ज है। दलीप सिंह पुत्र वरयाम सिंह की मृत्यू हो चुकी है। दलीप सिंह की पत्नी चरण कौर जीवित है, जो मूर्तिबाई पुत्री दलीप सिंह के पास रहती है। पूछताछ अनुसार दलीप सिंह के कोई संतान नहीं थी। मूतिबाई भगत सिंह की लडकी थी। जिनको दलीप सिंह के भाई भगत सिंह ने दलीप सिंह के घर छोड दिया एंव मूर्तिबाई छोटी उम्र से ही दलीप सिंह के घर रहने लग गई। दलीप सिंह व चरण कौर ने ही उनकी परवरिस की उनकी पढाई-लिखाई करवाई। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री रामदयाल उपस्थित आए व जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। सामिल मिसल किया गया। काउन्टर क्लेम के अनुसार वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 62 एफ, पटवार हल्का मुकन(बी), भू.अ.नि.क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्री करणपुर की जमावंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 36/102, 34/27, 35/44 में दलीप सिंह पुत्र वरयाम सिंह के नाम 1.202 हैक्टेयर भूमि का वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 को बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किए जाने के आदेश दिए जावे। जवाब स्टेट बन्द किया गया। प्रकरण में जवाबदावा सहमति का है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए। साक्ष्यवादी में गवाह सुखजीत कौर, प्रतिवादी चरण कौर उपस्थित आए। शपथपत्र बावत साक्ष्य पेश किये। सामिल मिसल किए गए।

3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादपत्र वादी, जवाबदावा प्रतिवादी संख्या 2, शपथ पत्र का अध्ययन किया। अधिवक्तागण की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 62 एफ, पटवार हल्का मुकन(बी), भू.अ.नि.क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 36/102 की छायाप्रति, राजस्व ग्राम 62 एफ, पटवार हल्का मुकन(बी), भू.अ.नि.क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 34/27 की छायाप्रति, राजस्व ग्राम 62 एफ, पटवार हल्का मुकन(बी), भू.अ.नि.क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्री करणपुर की जमावंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 35/44 की छायाप्रति, मृत्यू प्रमाण पत्र की छायाप्रति, पाठशालान्तर प्रवेशानुज्ञा की छायाप्रति, जॉव कार्ड की छायाप्रति, परिवार राशन कार्ड की छायाप्रति, सदस्य प्रमाण की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है, कि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 के द्वारा राजस्व ग्राम 62 एफ, पटवार हल्का मुकन(बी), भू.अ.नि.क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्री करणपुर की जमावंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 36/102, 34/27, 35/44 में वादिया के पिता दलीप सिंह पुत्र वरयाम सिंह के नाम 1.202 हैक्टेयर भूमि का वादिया व प्रतिवादी संख्या 2 को बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किए जाने बावत निवेदन किया गया। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार के अनुसार राजस्व ग्राम 62 एफ, पटवार हल्का मुकन(बी), भू.अ.नि.क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 36/102, 34/27, 35/44 में दलीप सिंह पुत्र वरयाम सिंह के नाम 1.202 हैक्टेयर भूमि दर्ज है। दलीप सिंह पुत्र वरयाम सिंह की मृत्यू हो चुकी है। दलीप सिंह की पत्नी चरण कौर जीवित है, जो मूर्तिबाई पुत्री दलीप सिंह के पास रहती है। पूछताछ अनुसार दलीप सिंह के कोई संतान नहीं थी। मूतिबाई भगत सिंह की लडकी थी। जिनको दलीप सिंह के भाई भगत सिंह ने दलीप सिंह के घर छोड दिया एंव मूर्तिबाई छोटी उम्र से ही दलीप सिंह के घर रहने लग गई। दलीप सिंह व चरण कौर ने ही उनकी परवरिस की उनकी पढाई-लिखाई करवाई। अतः वाद पत्र वादी व काउन्टर क्लेम प्रतिवादी संख्या 2 प्रस्तुत दस्तावेजात, शपथ पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

सुखजीत कौर बनाम राजकुमार वगैरह
वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 91 काश्तकारी
प्रकरण संख्या 31/2024

-:आदेश:-

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 62 एफ, पटवार हल्का ...(बी), भू.अ.नि.क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 खाता संख्या 36/102, 34/27, 35/44 में मृतक दलीप सिंह पुत्र वरयाम सिंह के नाम दर्ज 1. ...02 हैक्टेयर भूमि का वादिया सुखजीत कौर उर्फ मूर्ति बाई व प्रतिवादी संख्या 2 चरण कौर का हिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किया जाता है। उक्त खातो के शेष अंकन व रहन बदस्तूर रहेंगे। पूर्वोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
(उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर)

निर्णय आज दिनांक 04.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
(उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर)

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

सुखजीत कौर बनाम राजस्थान सरकार

धारा अन्तर्गत 88, 91 आरटीए

मुकदमा नम्बर **33/2024**

निर्णय दिनांक :- 04.11.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कर्ड रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री सुधीर कुमार शर्मा व प्रतिवादी अधिवक्ता श्री रामदयाल उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 62 एफ, पटवार हल्का मुकन(बी), भू.अ.नि.क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 36/102, 34/27, 35/44 में मृतक दलीप सिंह पुत्र वरयाम सिंह के नाम दर्ज 1.202 हैक्टेयर भूमि का वादिया सुखजीत कौर उर्फ मूर्ति बाई व प्रतिवादी संख्या 2 चरण कौर को बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किया जाता है। उक्त खातो के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 04.11.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	02	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**04**	**00**	**योग**	**04**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

क्रमांक: रीडर/2024/583

दिनांक: 04.11.2024

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर